

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225582
SG-DL-E-02032021-225582

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/फाल्गुन 7, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 346
No. 74]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/PHALGUNA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 346

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

फा. सं. 14/एन०एफ०डी०टी० सी०फेलिंग/2019-20/11713-21.— दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर आरआरटीएस संरेखण में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्यान्वयन हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 15.1743 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करती है।

स्थान	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिल्ली- गाजियाबाद- मेरठ कॉरिडोर आरआरटीएस संरेखण में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का	327	891	1218	12180

कार्यान्वयन।				
योग	327	891	1218	12180

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 6,94,26,000/- रुपये (छः करोड़ चौरानवे लाख छब्बीस हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा सुरक्षा जमा की गई धनराशि से उत्तरी वन मण्डल द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (1218 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) अर्थात् 12180 पौधों का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ यमुना रिवर फ्रंट, नियर खजूरी चौक, पुस्ता रोड, नई दिल्ली में किया जाएगा।	12180	6,94,26,000/-	उप- वन संरक्षक (उत्तर)/ वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 327 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े हैं, यमुना रिवर फ्रंट, नियर खजूरी चौक, पुस्ता रोड, नई दिल्ली पर उपलब्ध भूमि में किया जाएगा।			

- उपरोक्त 1 (क) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 12180 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उत्तरी वन मण्डल द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उत्तरी वन मण्डल द्वारा निगरानी की जाएगी।
- 1218 वृक्षों को काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 12180 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उनका रखरखाव उत्तरी वन मण्डल द्वारा उपभोगी संस्था द्वारा जमा की गई धनराशि से किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (उत्तर) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को लागू किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण साइट को अतिक्रमण और बायोटिक हस्तक्षेप (यदि हो) से सुरक्षित करना होगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, मृदा तैयार करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप के आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।
- जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
- अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
- उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
- वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

14. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
16. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (उत्तर) को भी दी जाएगी।
17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (उत्तर) से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. उपभोगी संस्था द्वारा 1218 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा।
19. उपभोगी संस्था द्वारा 891 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। वृक्षों की अनुमति 327 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और उप-वन संरक्षक (उत्तर) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली काष्ठ को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
21. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (उत्तर) को प्रस्तुत किया जाएगा।
22. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य शुरू करने से पहले साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगी।
23. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
24. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 26th February, 2021

F.No. 14/NFD/TC/Felling/2019-20/11713-21.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 15.1743 ha. as detailed below for implementation of Regional Rapid Transit System in Delhi-Ghaziabad-Meerut Corridor RRTS alignment, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
	Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Implementation of Regional Rapid Transit System in Delhi- Ghaziabad-Meerut Corridor RRTS alignment.	327	891	1218	12180
Total	327	891	1218	12180

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi National Capital Region Transport Corporation (NCRTC), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 6,94,26,000 /- (Rupees Six Crore Ninety Four Lakh Twenty Six Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplant/ felling of 1218 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar, Arjun etc. along with other native species shall be carried out by North Forest Division utilizing the security deposit at the Yamuna River Front, Near Khajuri Chowk, Pusta Road, New Delhi.	12180	6,94,26,000 /-	Deputy Conservator of Forests (North)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 327 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency in the same land.			

2. 100% Compensatory Plantation of 12180 saplings of native species shall be raised and maintained by North Forest Division for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) above.
3. Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 1218 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out thereafter, by North Forest Division utilizing the deposits made by User Agency.
4. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
5. Improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation sites shall be implemented.
6. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
7. Compensatory Plantation/ Transplantation sites shall have to be secured from encroachment/ and undesired biotic interference if any by User Agency
8. Extensive interventions if any required to be undertaken for soil preparation, shall be carried out and additional budget if needed, shall be provided by User Agency
9. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
10. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
11. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
12. Permission for transplantation/ felling of all trees is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
13. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

14. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
15. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
16. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (North) by User Agency.
17. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (North) by User Agency.
18. Transplantation/ felling of any tree apart from 1218 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
19. The transplantation shall be carried out prior to felling of 891 nos. of trees permitted herein. The 891 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 327 trees and submission of compliance certificate to Deputy Conservator of Forests (North).
20. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
21. Detailed plantation schedule shall be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating transplantation/ felling.
22. The User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating transplantation/ felling.
23. The user agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling of trees.
24. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

By Order and in the Name of the
Government of National Capital Territory of Delhi,
SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)